

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

आ विभागांक सदर सहरनपूर क्रम 2025305014473
द्वितीय
आवेदन संख्या 202500702036569

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 2025-07-07 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम आशीष सक्सेना

लेख का प्रकार विक्रय पत्र

पॉलिफिल की धनराशि 62848800 / 15712200.00

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 628490

2. प्रतिलिपिकरण शुल्क 80

3. निरीक्षण या तलाश शुल्क

4. मुख्तार के अधिप्रमाणीकरण लिए शुल्क

5. कमीशन शुल्क

6. विविध

7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 628570

शुल्क वसूल करने का दिनांक 2025-07-07 00:00:00

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2025-07-07 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

51

7930
25

(E)



51

INDIA NON JUDICIAL



IN-UP25450052058726X

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP25450052058726X

Certificate Issued Date : 07-Jul-2025 01:25 PM

Account Reference : NEWIMPACO (SV)/ up14114404/ SAHARANPUR/ UP-SHR

Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1411440427922014620782X

Purchased by : SAHARANPUR VIKAS PRADHIKARAN SRE THRU ASHISH

Description of Document : Article 23 Conveyance

Property Description : AGRICULTURE LAND KH NO. 27 M AT VILLAGE MOHD.PUR BAHLOLPUR PARGANA TEHSIL AND DISTT. SAHARANPUR

Consideration Price (Rs.) : 43,99,430

First Party : KANTI DEVI WO DHARA SINGH AND OTHERS

Second Party : SAHARANPUR VIKAS PRADHIKARAN SRE THRU ASHISH

Stamp Duty Paid By : SAHARANPUR VIKAS PRADHIKARAN SRE THRU ASHISH

Stamp Duty Amount(Rs.) : 43,99,430

7938
2025

7941
2025

43,99,430


(Forty Three Lakh Ninety Nine Thousand Four Hundred And Thirty only)

सत्यमेव जयते



07/07/2025

₹43,99,430



IN-UP25450052058726X



Please write or type below this line

निवासवती

नूरा देवी

कान्त

मि. कलश



As per



IPIF 0007731203

Statutory Alert:

- The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.stockstamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding
- The genuineness of the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid
- In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

विक्रय पत्र

कार्यालय का नाम :- उपनिबंधक:-सदर सहारनपुर
मूल क्षेत्राधिकार:-उपनिबंधक कार्यालय सदर द्वितीय सहारनपुर
फोटो मिलानकर्ता :-

विपिन कुमार धोमान
एडवोकेट
रजि० नं०-5076/04
150-सिविल कोर्ट सहारनपुर
मो० नं०-9758311943



विपिन कुमार धोमान

रजि० नं०-5076/04
150-सिविल कोर्ट सहारनपुर
मो० नं०-9758311943



एडवोकेट



विपिन कुमार

रजि० नं०-5076/04
150-सिविल कोर्ट सहारनपुर
मो० नं०-9758311943



विपिन कुमार धोमान

एडवोकेट
रजि० नं०-5076/04
150-सिविल कोर्ट सहारनपुर
मो० नं०-9758311943

- 1-प्रतिफल की धनराशि :-मुबलिंग 6,28,48,800/- रुपये ✓
(प्रतिफल की धनराशि में अंकन 1,000/-पूर्णांक करके अंकन 6,28,49,000/-रूपये पर
स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है)
- 2- कानूनी मालियत :-मुबलिंग 1,57,12,200/- रूपये ✓
- 3- स्टाम्प शुल्क :- मुबलिंग 43,99,430/-रूपये ✓
(ई-स्टाम्प सर्टिफिकेट संलग्न है)
- 4-संपत्ति का प्रकार:- कृषि भूमि ✓
- 5- विक्रीत संपत्ति आवास विकास शुल्क क्षेत्र के अन्दर स्थित है।
- 6-संपत्ति का क्षेत्रफल:- 1.3545हे० ✓
- 7-संपत्ति का विवरण :- खसरा संख्या:- 27मि० ✓
फसली वर्ष:-1428-1433तक खाता खतौनी क्रम संख्या:- 00021 ✓
- 8-मापन की इकाई :-हेक्टेयर ✓
- 9-कृषि भूमि विक्रीत वाके ग्राम मौ.पुर बहलोलपुर परगना तहसील व जिला
सहारनपुर है(पृष्ठ संख्या 59 क्रमांक 452 क्षेत्र:-अर्धनगरीय) जहाँ का सरकारी
निर्धारित रेट 1,16,00,000/-रूपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित है जिसके अनुसार
विक्रीत आराजी की कानूनी मालियत अंकन 1,57,12,200/- रूपये होती है

मि० मालवती

महेश देवी

कान्ता

मि० कलाशी

Chauhan

10- यह की निम्नलिखित विक्रीत संपत्ति के सम्बन्ध में कोई अनुबंध विलेख पंजीकृत नहीं है।

11- यह की निम्नलिखित विक्रीत संपत्ति की 200 मीटर की त्रिज्या में आबादी/अकृषक गतिविधिया मौजूद नहीं है।

12- यह की निम्नलिखित विक्रीत संपत्ति में परिसंपत्तिया नहीं है।

13- यह की निम्नलिखित विक्रीत संपत्ति सामान्य भूमि है।

14- यह की निम्नलिखित संपत्ति का अंतरण सहारनपुर विकास प्राधिकरण ,सहारनपुर के हक में हो रहा है इस कारण 07 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

15- यह की विक्रेता अनुसूचित जाति के व्यक्ति है जिसने निम्न वर्णित भूमि विक्रय करने हेतु न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) मंडल सहारनपुर जनपद सहारनपुर तहसील सहारनपुर के द्वारा सहारनपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में भूमि विक्रय किये जाने हेतु अन्तर्गत धारा- 98(1) अधिनियम उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 अनुमति प्राप्त की गयी है, जिसकी छायाप्रतिया दस्तावेज हाजा के साथ संलग्न है।

वाद संख्या	कम्प्यूट्रीकृत वाद संख्या	पक्षकार	आदेश दिनांक
3035/2025	D202509600003035	श्रीमती मालवती उर्फ मानवती पत्नी श्री पप्पन सिंह बनाम सरकार	26-06-2025
3036/2025	D202509600003036	श्रीमती नहरो देवी उर्फ महारा देवी पत्नी श्री सेवाराम बनाम सरकार	26-06-2025
3037/2025	D202509600003037	श्रीमती कान्ती देवी पत्नी श्री धारा सिंह बनाम सरकार	26-06-2025
3038/2025	D202509600003038	श्रीमती कलाशो उर्फ कलोशो पत्नी स्व० प्रकाश चन्द बनाम सरकार	26-06-2025

16- यह की निम्नलिखित विक्रीत संपत्ति , राजस्व अभिलेख / उद्धरण खतौनी के अनुसार श्रेणी-1 (क) संक्रमणीय भूमिधर अधिकार की भूमि के अन्तर्गत है तथा उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 की धारा-77 के अनुसार प्रश्रगत खसरा नम्बर सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है।

कान्ती

नहरो देवी

नहरो देवी





एतनाम

गोरे

17- सम्बन्धित भूमि सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी शहरी विस्तारिकरण / नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों का समग्र एवं समुचित विकास किये जाने हेतु क्रय की जा रही है। काश्तकारों से विक्रीत सम्पत्ति सर्किल रेट दर के चार गुणा कीमत पर सहमति के आधार पर क्रय की जा रही है। यह कि यदि किसी त्रुटिवश माप के लिखित पढत व किसी अन्य की हिस्सेदारी या माननीय न्यायालय में किसी अन्य हिस्सेदार के पक्ष में आदेश प्राप्त होते हैं तो विक्रेता इस रकम को (जो कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण से मुआवजे / प्रतिफल के रूप में प्राप्त कर रहा है) सहारनपुर विकास प्राधिकरण को वापस करने का पाबन्द व जिम्मेदार रहेगा। विकास कार्य करते समय अगर पैमाईश में क्षेत्रफल कम पाया जाता है अथवा भुगतान गलती से अधिक धनराशि का हो जाता है और विक्रेता अधिक धनराशि स्वयं नहीं लौटाता है तो धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज प्रति वर्ष की दर सहित भू-राजस्व के बकाये की भाँति सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को वसूलने का अधिकार होगा

विक्रेता का विवरण संख्या (04)

क्रमांक	नाम	पिता /पति का नाम	पता	आधार संख्या	पेन संख्या	बकदर हिस्सा कानूनी मालियत (रूपये)	बकदर हिस्सा प्रतिफल की धनराशि (रूपये)	बकदर हिस्सा रकबा (हे०)
1-	श्रीमती मालवती उर्फ मानवती	पत्नी श्री पप्पन सिंह	ग्राम हाल मवीखुर्द ,जन्धेडी प० त० व जि० स०पुर	XXXX XXXX 6717	FOBPM4744B	89,27,360/-	22,31,840/-	0.1924
2-	श्रीमती नहरो देवी उर्फ महारा देवी	पत्नी श्री मेवाराम	ग्राम मवीखुर्द प० त० व जि० स०पुर	XXXX XXXX 3045	HUWPD2577J	89,27,360/-	22,31,840/-	0.1924
3-	श्रीमती कान्ती देवी	पत्नी श्री धारा सिंह	ग्राम हाल मवीखुर्द ,जन्धेडी प० त० व जि० स०पुर	XXXX XXXX 2287	HLZPK9949F	89,27,360/-	22,31,840/-	0.1924
4-	श्रीमती कलाशो उर्फ कलोशो	पत्नी स्व० प्रकाश चन्द	ग्राम चुनेहटी गाडा प० त० व जि० स०पुर	XXXX XXXX 2324	EWWPD2934N	3,60,66,720/-	90,16,680/-	0.7773
					योग:-	6,28,48,800/-	1,57,12,200/-	1.3545

काशी





क्रेता का विवरण संख्या (01)

सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर-247001

(पेन नम्बर AAALS0359L) द्वारा अधिकृत पदाधिकारी /प्रतिनिधि आशीष सक्सेना (अवर अभियन्ता, सहारनपुर विकास प्राधिकरण) पुत्र श्री कृष्ण चंद सक्सेना, निवासी 311/108 ए, मीरापुर, डी ए वी कालेज, मीरापुर, प्रयागराज, आधार संख्या XXXX XXXX 5328 मौ०:-8005468480

(उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर के पत्रांक संख्या 2529 / अर्जन / स०वि०प्रा० / 2024-25 दिनांक 11/02/2025 के द्वारा अधिकृत)

संपत्ति प्राप्ति का स्रोत:- जो कि निम्नलिखित भूमि के विक्रेता मालिक व काविज है और विक्रेता का नाम कागजात सरकारी खसरा खतौनी में बतौर मालिक नाम दर्ज चला आ रहा है जो विक्रेता को विरासत में प्राप्त है।

जिसके सम्बन्ध में विक्रेता को पूर्ण अधिकार मालकाना व इस्तेमाल तथा हस्तांतरण आदि के प्राप्त है और जो आज तक हर प्रकार के करजे व अनुबंध व हस्तान्तरण आदि से पाक व साफ है और जिसकी बाबत किसी न्यायालय या अन्य किसी भी जगह कोई वाद विवाद विचारधीन नहीं है लिहाजा विक्रेता ने बखुशी बिना किसी दबाव व जबर के बदरस्ती होशो हवास अपनी के निम्नलिखित भूमि को बमुकाबले अकन 6,28,48,800/- रुपये जिसके आधे 3,14,24,400/- रुपये होते है बदस्त क्रेता उपरोक्त के बैय कतई और फरोख्त कामिल कर दी है और कब्जा दखल व कब्जा मालकाना व वाकई अपना विक्रेता ने निम्नलिखित भूमि विक्रीत से उठाकर कब्जा दखल व कब्जा मालकाना व वाकई उस पर क्रेता उक्त का पूरी तौर पर करा दिया है और क्रेता को अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह निम्नलिखित भूमि विक्रीत पर काविज रहकर उसमे अपनी पसंद की काशत करे उसको रहन या ब्रैय करे या उसको जो चाहे सौ करे और कागजात सरकारी में अपना नाम बतौर मालिक के दर्ज करा ले उजर ना होगा विक्रेता का या उसके किसी वारिस व कायम मुकामान का विक्रीत भूमि में किसी प्रकार का कोई

कावली

मि० मालवती

बदरस्ती देवी

At 10/11/25

At 10/11/25

अधिकार बाकी नहीं रहा है और ना आइन्दा को होगा यदि आज से पहले की कोई सरकारी या गैर सरकारी देनदारी निम्नलिखित भूमि विक्रीत के सम्बन्ध में वाजिब हुई तो उसको विक्रेता अदा व बेवाक करने का पाबन्द व जिम्मेदार रहेंगे। अगर आइन्दा बवजह दावेदारी किसी शख्स सहीम या हकदार किफालतदार के आराजी मुबईया कब्जा दखल व कब्जा मालकाना व वाकई क्रेता जायदाद उक्त से निकल जावे या कब्जा दखल में फर्क आवे तो क्रेता जायदाद को अधिकार प्राप्त होगा की अपना कुल विक्रय धन उपरोक्त मय हरजे खर्चे के भूमि मुबईया व दीगर जायदाद माल व जात खास विक्रेता से जिस तरह से चाहे वसूल कर लेवे उजर ना होगा।

तफसील जायदाद मुबईया

संक्रमणीय हकूक भूमिधरी भूमि रकबई 1.3545हे0 मुन्दर्जा खसरा संख्या 27 रकबई 1.6160हे0 यानि विक्रेता का कुल हक व हिस्सा यानि विक्रेतागण का कुल सर्व भाग मुतालिक खाता संख्या 00021 फसली वर्ष 1428-1433तक वाके ग्राम मौ.पुर वहलोलपुर परगना तहसील व जिला सहारनपुर मय जुमला हक हकूक हर किस्म मुतालिका उसके विला इसतसनाये किसी जुजव या हक के जिसका नक्शा सलग्न है जो दस्तावजे हाजा का भाग है।

नोट:-उपरोक्त विक्रीत भूमि खसरा संख्या 27 के अंतर्गत विक्रेता का कोई अंश अथवा भाग शेष नहीं रहा है।

सीमाये

पूरव में:- - राजवाहा

पश्चिम में:- - खेत खसरा संख्या 25 व 26 व 22 (क्रेता)

उत्तर में :- - चकमार्ग खसरा संख्या 7

दक्षिण में :- - खेत खसरा संख्या 28

नि० भालवती

नहरी देवी

नि० कलाशी

काजली

[Handwritten Signature]

तफसील वसूल जरे समन

कुल जरे समन अंकन 6,28,48,800/- में से विक्रेता संख्या 04 द्वारा उक्त संपत्ति पर लिए गए कुल ऋण अंकन 2,62,000/-रूपये को क्रेता द्वारा अदा किया गया है जो कुल जरे समन में समायोजित हो गया है और शेष रकम अंकन 6,25,86,800/-रूपये रूपये विक्रेता द्वारा बैंक प्रणाली /बैंक हस्तांतरण द्वारा प्राप्त कर लिया गया है जो विक्रेतागण को प्राप्त होना स्वीकार है और कोई शेष जरे समन बाकी नहीं रहा है। जिसका विवरण विक्रय पत्र के साथ संलग्न है।

लिहाजा यह दस्तावेज लिख दी की सनद हो और वक्त जरूरत काम आवे।

नि. भालवती

ह०-----

नहरो देवी

ह०-----

काली

ह०-----

नि. भालवती

ह०-----

ह०-----

साक्षी:-1 श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री ब्रहम सिंह
निवासी हरिपुर सहारनपुर
ह०-----



विपिन कुमार धीमान
एडवोकेट

5076/04

साक्षी :-2 श्रीपाल पुत्र श्री चमन सिंह
निवासी 307 विजय कॉलोनी सहारनपुर
ह०-----




सिविल कोर्ट सहारनपुर
5076/04

लेखतिथि :- 07 जौलाई सन 2025 ई०

रचियता:- विपिन कुमार धीमान
एडवोकेट
रजि.नं०-5076/04
150-सिविल कोर्ट सहारनपुर
मो० नं०-9758311943

सम्पत्ति का फोटो



नि० मासवती

नहुरादेवी

कान्ती

नि० जसाशी

Spec

कार्यालय
पत्रांक 137 / सविप्र10 / लेखा0 / 2025-20
सेवा में,

सहारनपुर

विकास

प्राधिकरण, सहारनपुर
दिनांक 5-7-2025

शाखा प्रबन्धक,
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया,
मुख्य शाखा, कोर्ट रोड,
सहारनपुर।

कृपया संलग्न चैक संख्या-278353, दिनांक 05.07.2025, एसबीआई-44027766433, रु0 6,25,86,8 (रुपये छः करोड़ पच्चीस लाख छियासी हजार आठ सौ मात्र), जो आपको मूल रूप में एवं कृपकों के खाता संख्या की छायाप्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि निम्न तालिकानुसार अपने स्तर से संलग्न पत्रों से सम्बन्धित काश्तकार/कृषक के खाता संख्या, IFSC विवरण आदि का मिलान अनिवार्य रूप से कर चुसंगत खातों में ही धनराशि जमा करने का कष्ट करें :-

क्र. सं.	सम्बन्धित पक्ष का नाम	धनराशि रुपये में	खाता संख्या	बैंक का नाम	I.F.S.C Code
1	श्रीमती मालवती पत्नी श्री पद्मन	89,27,360.00	925010016485465	AXIS BANK LTD	UTIB0000
			SBIN 225188196830		
2	श्रीमती नगुरादेवी उर्फ महारादेवी पत्नी संवाराज	89,27,360.00	24270100003513	BANK OF BARODA	BARBOHA
			SBIN 225188196946		
3	श्रीमती कान्हीदेवी पत्नी श्री धारा सिंह	89,27,360.00	001320000002940	DISTRICT CO-OPERATIVE BANK LTD	UPCB0000
			SBIN 225188200044		
4	श्रीमती कलारो उर्फ कलारो विष्णु स्व0 श्री प्रकाश चन्द	3,58,04,720.00	65206136912	STATE BANK OF INDIA	SBIN000
	योग-	6,25,86,890.00			
			3. No. - 217906404		

लम्बक :- उपरोक्तानुसार।

नहरी देवी

भारतीय स्टेट बैंक/SEBI
MAIN BRANCH, SRE. (00710)

07 JUL 2025

HIMANSHU SHARMA PF 6984533
Checker

(अशोक राव गौतम
वित्त एवं लेखाधिकारी)

सहारनपुर विकास प्राधिकरण
सहारनपुर।

आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व
मण्डल : सहारनपुर, जनपद : सहारनपुर, तहसील : सहारनपुर
वाद संख्या : 3035/2025
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या : 02025026000001035
श्रीमती मालवती उर्फ मानवती पत्नी पप्पन सिंह बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 98(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

-: आदेश :-

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्रीमती मालवती उर्फ मानवती पत्नी पप्पन सिंह निवासी मकीसुर्द परगना व तहसील व जनपद सहारनपुर द्वारा धारा-98 (1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत भूमि खाता संख्या 21 खसरा नम्बर 27 रकबा 1.616 हे० में से भागानुसार 0.1924 हे० भूमि स्थित ग्राम मो०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला सहारनपुर को अनुसूचित जाति से गिन्न जाति के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति प्रदत्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पर उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 21-06-2025 के आधार पर प्रारम्भ हुई। प्रार्थना-पत्र के अनुसार आवेदिका/वादिया उक्त भूमि को मा० मुख्यमंत्री जी शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना हेतु अनुसूचित जाति से गिन्न जाति के व्यक्ति सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को विक्रय करना चाहती है।

आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर से आख्या दिनांक 21-06-2025 प्राप्त हुई। उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर ने अपनी आख्या दिनांक 21-06-2025 के माध्यम से विक्रय हेतु प्रस्तावित उक्त भूमि को अनुसूचित जाति से गिन्न व्यक्ति को विक्रय करने की संस्तुति प्रेषित की गयी।


वाद दर्ज कर माननीय न्यायालय कलकट्टर सहारनपुर से निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अन्तरित हुआ। मैरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं तहसीलदार सदर, सहारनपुर की आख्या जो उप जिलाधिकारी सदर जिला सहारनपुर द्वारा दिनांक 21-06-2025 को प्रेषित की गयी है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया खाता संख्या 21 खसरा नम्बर 27 रकबा 1.616 हे० में से भागानुसार 0.1924 हे० भूमि स्थित ग्राम मो०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला सहारनपुर को विक्रय करना चाहती है। उप जिलाधिकारी सदर, जिला सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 21-06-2025 के अनुसार उक्त भूमि विक्रय के उपरान्त प्रार्थिया के पास कोई भूमि शेष नहीं बचेगी। उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आवेदिका/वादिया द्वारा प्रस्तावित भूमि को विक्रय करने के दशाये गये कारण सही पाये गये। आवेदिका/वादिया अनुसूचित जाति के अस्य भूमि धारकों से भूमि त्रय कर भूमि को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विक्रय करने का व्यवसाय नहीं करती है। प्रार्थिया की भूमि बंट/संस्था में बन्धक नहीं है। उपरोक्तानुसार प्रेषित आख्या में उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा आवेदक को अनुमति दिए जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उप जिलाधिकारी सदर जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित उक्त आख्या के आधार पर आवेदिका/वादिया को खाता संख्या 21 खसरा नम्बर 27 रकबा 1.616 हे० में से भागानुसार 0.1924 हे० भूमि स्थित ग्राम मो०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला सहारनपुर को अनुसूचित जाति से गिन्न जाति के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति धारा 98(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है। यह आदेश उक्त

पृष्ठ संख्या :

श्रीमती मालवती





आदेश पत्रक


स्थायित्व : अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व
मण्डल : सहारनपुर, जनपद : सहारनपुर, तहसील : सहारनपुर
चौक संख्या : 3035/2025
कंप्यूटरीकृत चाद संख्या : D202502600001015
श्रीमती मालवती उर्फ मा-नुवती पत्नी पद्मन सिंह बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 98(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

भूमि को विक्रय अनुमति मान प्रदान करता है। इस आदेश से स्वत्व का निर्धारण नहीं होता है। परतावित भूमि के अन्तर्ण के लिए फ्लोरबोर्ड द्वारा नियत सर्फिस रेट के अनुसार आश्रयित रकम से कम नहीं होगा। उक्त अनुमति में यदि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता एवं नियमावली के किसी नियम का उल्लंघन होता है अथवा शपथ पत्र में कोई फ्लोरबोर्ड किया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया गया हो या भविष्य में उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई अन्वया तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त अनुमति स्वतः ही निरस्त राखी जायेगी। प्रदत्त भूमि विक्रय अनुमति आदेश के दिनांक से तीन माह तक प्रभावी रहेगी। आदेश की प्रतिलिपि सम्बन्धित उप निदेशक को प्रेषित की जाकर चाद पत्रावली अभिलेखागार में संवित की जाए।

दिनांक : 06.06.2025


(सलिल कुमार पटेल)
अपर कलेक्टर (वित्त एवं राजस्व)
सहारनपुर।

श्रीमती मालवती



पृष्ठ संख्या :

2114



आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व
मण्डल : सहारनपुर, जनपद : सहारनपुर, तहसील : सहारनपुर
वाद संख्या :- 3036/2025
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- D202509600003036
श्रीमती नहरो देवी उर्फ मुहरा देवी पत्नी सेवाराम बनाम सरकार
अंतर्गत धारा :- 98(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

-: आदेश :-

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्रीमती नहरो देवी उर्फ मुहरा देवी पत्नी सेवाराम निवासी मधीसुर्द परगना व तहसील व जिला सहारनपुर द्वारा धारा-98 (1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत भूमि खाता संख्या 21 खसरा नम्बर 27 रकबा 1.616 हे० में से भागानुसार 0.1924 हे० भूमि स्थित ग्राम मो०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला सहारनपुर को अनुसूचित जाति से निम्न जाति के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति प्रदत्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पर उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 21-06-2025 के आधार पर प्रारम्भ हुयी। प्रार्थना-पत्र के अनुसार आवेदिका/वादि्या उक्त भूमि को मा० मुख्यमंत्री जी शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना हेतु अनुसूचित जाति से निम्न जाति के व्यक्ति सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को विक्रय करना चाहती है।

आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर से आख्या दिनांक 21-06-2025 प्राप्त हुई। उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर में अपनी आख्या दिनांक 21-06-2025 के माध्यम से विक्रय हेतु प्रस्तावित उक्त भूमि को अनुसूचित जाति से निम्न व्यक्ति को विक्रय करने की संस्तुति प्रेषित की गयी।

वाद दर्ज कर माननीय न्यायालय कलक्टर, सहारनपुर से निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अन्तरित हुआ। मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं तहसीलदार सदर, सहारनपुर की आख्या जो उप जिलाधिकारी, सदर जिला सहारनपुर द्वारा दिनांक 21-06-2025 को प्रेषित की गयी है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादि्या खाता संख्या 21 खसरा नम्बर 27 रकबा 1.616 हे० में से भागानुसार 0.1924 हे० भूमि स्थित ग्राम मो०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला सहारनपुर को विक्रय करना चाहती है। उप जिलाधिकारी सदर, जिला सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 21-06-2025 के अनुसार उक्त भूमि विक्रय के उपरान्त प्रार्थित के पास कोई भूमि शेष नहीं बचेगी। उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आवेदिका/वादि्या द्वारा प्रस्तावित भूमि को विक्रय करने के दशांशे गये कारण सही पाये गये। आवेदिका/वादि्या अनुसूचित जाति के अल्प भूमि धारकों से भूमि क्रय कर भूमि को गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विक्रय करने का व्यवसाय नहीं करती है। प्रार्थित की भूमि बैंक/संस्था में बन्धक नहीं है। उपरोक्तानुसार प्रेषित आख्या में उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा आवेदक को अनुमति दिए जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उप जिलाधिकारी सदर जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित उक्त आख्या के आधार पर आवेदिका/वादि्या को खाता संख्या 21 खसरा नम्बर 27 रकबा 1.616 हे० में से भागानुसार 0.1924 हे० भूमि स्थित ग्राम मो०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला सहारनपुर को अनुसूचित जाति से निम्न जाति के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति धारा 98(1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है। वर आदेश उक्त

नहरो देवी पृष्ठ संख्या :





आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व
मण्डल : सहारनपुर, जनपद : सहारनपुर, तहसील : सहारनपुर
वाद संख्या : -3038/2025
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D202509600003038
श्रीमती कलाशी उर्फ कलाशी विधवा प्रकाशचन्द बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 98(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

-: आदेश :-

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्रीमती कलाशी उर्फ कलाशी वि० प्रकाशचन्द निवासी चुनहेटीगाडा परगना व तहसील व जनपद सहारनपुर द्वारा धारा-98 (1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत भूमि खाता संख्या 21 खसरा नम्बर 27 रकबा 1.616 हे० में से भागानुसार 0.7773 हे० भूमि स्थित ग्राम मो०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला सहारनपुर को अनुसूचित जाति से भिन्न जाति के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति प्रदत्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पर उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 21-06-2025 के आधार पर प्रारम्भ हुयी। प्रार्थना-पत्र के अनुसार आवेदिका/वादिया उक्त भूमि को मा० मुख्यमंत्री जी शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना हेतु अनुसूचित जाति से भिन्न जाति के व्यक्ति सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर को विक्रय करना चाहती है।

आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर से आख्या दिनांक 21-06-2025 प्राप्त हुई। उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर ने अपनी आख्या दिनांक 21-06-2025 के माध्यम से विक्रय हेतु प्रस्तावित उक्त भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को विक्रय करने की संस्तुति प्रेषित की गयी।

वाद दर्ज कर माननीय न्यायालय कलक्टर, सहारनपुर से निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अन्तरित हुआ। नरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं तहसीलदार सदर, सहारनपुर की आख्या जो उप जिलाधिकारी, सदर जिला सहारनपुर द्वारा दिनांक 21-06-2025 को प्रेषित की गयी है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया खाता संख्या 21 खसरा नम्बर 27 रकबा 1.616 हे० में से भागानुसार 0.7773 हे० भूमि स्थित ग्राम मो०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला सहारनपुर को विक्रय करना चाहती है। उप जिलाधिकारी सदर, जिला सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 21-06-2025 के अनुसार उक्त भूमि विक्रय के उपरान्त प्रार्थिया के पास कोई भूमि शेष नहीं बचेगी। उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आवेदिका/वादिया द्वारा प्रस्तावित भूमि को विक्रय करने के दर्शाये गये कारण सही पाये गये। आवेदिका/वादिया अनुसूचित जाति के अल्प भूमि धारकों से भूमि क्रय कर भूमि को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विक्रय करने का व्यवसाय नहीं करती है। प्रार्थिया की भूमि बैंक/संस्था में बन्धक नहीं है। उपरोक्तानुसार प्रेषित आख्या में उप जिलाधिकारी सदर, जनपद सहारनपुर द्वारा आवेदक को अनुमति दिए जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उप जिलाधिकारी सदर जनपद सहारनपुर द्वारा प्रेषित उक्त आख्या के आधार पर आवेदिका/वादिया को खाता संख्या 21 खसरा नम्बर 27 रकबा 1.616 हे० में से भागानुसार 0.7773 हे० भूमि स्थित ग्राम मो०पुर बहलोलपुर परगना व तहसील व जिला सहारनपुर को अनुसूचित जाति से भिन्न के व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति लेखपत्र के निस्पादन से पूर्व त्रुण अदायगी के प्रतिबन्ध के साथ प्रदत्त की जाती है। यह आदेश

श्री. कलाशी पत्र संख्या :





आदेश पत्रक

न्यायालय : अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व
मण्डल : साहारनपुर, जनापद : साहारनपुर, तहसील : साहारनपुर
वाद संख्या :- 3038/2025
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- D202509600003018
श्रीमती कलाशी उर्फ कलाशी विधवा प्रकाशचन्द बनाम सरकार
अंतर्गत धारा :- 98(1), अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

उक्त भूमि को विक्रय अनुमति मात्र प्रदान करता है। इस आदेश से खत्य का निर्माण नहीं होता है। प्रस्तावित भूमि के अन्तर्ण के लिए कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट के अनुसार आगणित रकम से कम नहीं होगा। उक्त अनुमति में यदि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता एवं नियमावली के किसी नियम का उल्लंघन होता है अथवा शपथ पत्र में कोई फेरबदल किया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया गया हो या भविष्य में उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई अन्यथा तथ्य प्रकाश में आता है तो उक्त अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। प्रदत्त भूमि विक्रय अनुमति आदेश के दिनांक से तीन माह तक प्रभावी रहेगी। आदेश की प्रतिलिपि सम्बन्धित उप निबन्धक को प्रेषित की जाकर वाद पत्रावली अगिलेखागार में संचित की जाए।

दिनांक : 26.06.2025

(सलिल कुमार पटेल)
अपर कलेक्टर (वित्त एवं राजस्व)
साहारनपुर।

247

निष्कलाशी



पृष्ठ संख्या :



कार्यालय सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।

कार्यालय आदेश

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों का समग्र एवं समुचित विकास किये जाने हेतु सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर द्वारा ग्राम चुनहेटी गाड़ा, सैदपुरा एवं गौहम्मदपुर वहलोलपुर में सहमति के आधार पर खातोंदारों से प्राधिकरण के लिए किये जाने वाले बैनामों हेतु निम्न अधिकारियों व कर्मचारियों को नामित किया जाता है :-

- 1- श्री सुधीर गुप्ता, अवर अभियन्ता / श्री आशीष सक्सेना, अवर अभियन्ता
- 2- राजस्व लेखपाल (उप-जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा नामित)
- 3- श्री श्रीमाल, प्रधान लिपिक, सोवि०प्रा०

उक्त समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सहारनपुर विकास प्राधिकरण से संबंधित मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत होने वाले समस्त बैनामों की कार्यवाही नियमानुसार अपनी देख-रेख में प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

(संतोष कुमार राय)

उपाध्यक्ष

पत्रांक : 2529 /अर्जन/सोवि०प्रा०/2024-25

दिनांक 11 फरवरी, 2025


प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- जिलाधिकारी, सहारनपुर।
- 2- अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), सहारनपुर।
- 3- उपमहानिरीक्षक, निवन्धन, सहारनपुर।
- 4- सब-रजिस्ट्रार (द्वितीय), सहारनपुर।
- 5- सचिव, सोवि०प्रा०।
- 6- विशेष कार्याधिकारी, सोवि०प्रा०।
- 7- वित्त एवं लेखाधिकारी, सोवि०प्रा०।
- 8- अधिशासी अभियन्ता, सोवि०प्रा०।
- 9- सहायक अभियन्ता व रागरत अवर अभियन्ता, सोवि०प्रा०।
- 10- उपरोक्त अधिकारियों व कर्मचारियों को अनुपालनार्थ, सोवि०प्रा०।
- 11- गार्ड फ़ावली।

(संतोष कुमार राय)



SITE PLAN OF AGRICULTURAL LAND KHASRA
NO-27M. SITUATED AT GRAM MOHO.PUR
BAHLOL PUR PARAGNA TEHSIL &
DIST. SAHARANPUR
OWNER:- KANTI DEVI W/O DHARA SINGH
AND OTHERS
PURCHASER:- S. D. A SAHARANPUR
AREA -> SOLD AREA = 1.3545 HECT.



Lt. Macd
 कान्ती
 KH. NO-28
 नदुरो देवी
 Lt. Macd
 Lt. Macd
 Lt. Macd





आवेदन सं०: 202500702036569

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 10850 के पृष्ठ 55 से 84 तक क्रमांक
7938 पर दिनांक 07/07/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Amul

विवेक कुमार .

उप निबंधक : सदर द्वितीय

सहारनपुर

07/07/2025

